न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/111/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140002162022

निर्णय दिनांकः- 10.04.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 219/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **आमीन मोहम्मद** पुत्र अजीज मोहम्मद उम्र 39 साल निवासी जरखोदा थाना करवर जिला बून्दी राज0 2. **देवराज** पुत्र कल्याण उम्र 30 साल निवासी करवर जिला बून्दी राज0 3. **शाहरूख खान** पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं.12 बस स्टैण्ड करवर जिला बून्दी राज0 4. **दीपक सोनी** पुत्र रामविलास सोनी उम्र 41 साल निवासी वार्ड नं.07 देई थाना देई जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की ओर से। श्री आरिफ अली, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 4 की ओर से।
अपराध की तिथि	14.11.2021 & 15.11.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	15.11.2021
आरोप पत्र की तिथि	05.04.2022
आरोप के विरचना की तिथि	06.09.2022 & 28.09.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	12.12.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.04.2026
निर्णय की तिथि	10.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**आमीन मोहम्मद**	-	-	धारा 457, 380, 414,	**दोषमुक्ति**	-	-

				411 भा.दं.सं. 1860			
2.	देवराज	-	-	धारा 457, 380, 414, 411 भा.दं.सं. 1860	दोषमुक्ति	-	-
3.	शाहरूख खान	-	-	धारा 457, 380, 414, 411 भा.दं.सं. 1860	दोषमुक्ति	-	-
4.	दीपक सोनी	-	-	धारा 457, 380, 414, 411 भा.दं.सं. 1860	दोषमुक्ति	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	रविशंकर	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	भैरूलाल	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	प्रदीप कुमार	तहरीरी रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	राकेश कुमार	फर्द बरामदगी साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	पोखरमल	कार्यवाही शिनाख्त साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	बृजेन्द्र सिंह	फर्द बरामदगी साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	रवि कुमार	कार्यवाही शिनाख्त साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	संदीप	फर्द बरामदगी साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	बाबूलाल	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	हरीश भारती	अनुसंधान व चार्जशीट साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	रिपोर्ट	अभि. साक्षी–3
3.	प्रदर्श पी-3	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–3
4.	प्रदर्श पी-4	फर्द शिनाख्तगी	अभि. साक्षी–3

5.	प्रदर्श पी-5	फर्द गिरफ्तारी	अभि. साक्षी–4
6.	प्रदर्श पी-6	फर्द गिरफ्तारी	अभि. साक्षी–4
7.	प्रदर्श पी-7	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
8.	प्रदर्श पी-8	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
9.	प्रदर्श पी-9	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
10.	प्रदर्श पी-10	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
11.	प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफ्तारी	अभि. साक्षी–4
12.	प्रदर्श पी-12	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
13.	प्रदर्श पी-13	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
14.	प्रदर्श पी-14	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
15.	प्रदर्श पी-15	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
16.	प्रदर्श पी-16	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
17.	प्रदर्श पी-17	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
18.	प्रदर्श पी-18	फर्द गिरफ्तारी	अभि. साक्षी–4
19.	प्रदर्श पी-19	फर्द जब्ती	अभि. साक्षी–4
20.	प्रदर्श पी-20	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
21.	प्रदर्श पी-21	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
22.	प्रदर्श पी-22	फर्द चिटमाल	अभि. साक्षी–6
23.	प्रदर्श पी-23	फर्द चिटमाल	अभि. साक्षी–6
24.	प्रदर्श पी-24	फर्द चिटमाल	अभि. साक्षी–6
25.	प्रदर्श पी-25	फर्द पचंनामा	अभि. साक्षी–6
26.	प्रदर्श पी-26	फर्द चिटमाल	अभि. साक्षी–6
27.	प्रदर्श पी-27	धारा 27 सूचना	अभि. साक्षी–9
28.	प्रदर्श पी-28	धारा 27 सूचना	अभि. साक्षी–9
29.	प्रदर्श पी-29	फर्द चिटमाल	अभि. साक्षी–9
30.	प्रदर्श पी-30	चालान कॉपी	अभि. साक्षी–9
31.	प्रदर्श पी-31	न्यायालय आदेश	अभि. साक्षी–9
32.	प्रदर्श पी-32	घटनास्थल लोकेशन	अभि. साक्षी–10
33.	प्रदर्श पी-33	तहरीर	अभि. साक्षी–10
34.	प्रदर्श पी-34	सीडीआर देवराज	अभि. साक्षी–10
35.	प्रदर्श पी-35	सीडीआर शाहरूख	अभि. साक्षी–10
36.	प्रदर्श पी-36	पत्र	अभि. साक्षी–10
37.	प्रदर्श पी-37	सीडीआर आमीन	अभि. साक्षी–10
38.	प्रदर्श पी-38	धारा 27 सूचना देवराज	अभि. साक्षी–10
39.	प्रदर्श पी-39	धारा 27 सूचना देवराज	अभि. साक्षी–10
40.	प्रदर्श पी-40	धारा 27 सूचना शाहरूख	अभि. साक्षी–10
41.	प्रदर्श पी-41	धारा 27 सूचना शाहरूख	अभि. साक्षी–10
42.	प्रदर्श पी-42	धारा 27 सूचना शाहरूख	अभि. साक्षी–10
43.	प्रदर्श पी-43	नोटिस	अभि. साक्षी–10

44.	प्रदर्श पी-44	चैकलिस्ट मुल. दीपक	अभि. साक्षी–10
45.	प्रदर्श पी-45	धारा 27 सूचना	अभि. साक्षी–10
46.	प्रदर्श पी-46	नकल रपट	अभि. साक्षी–10
47.	प्रदर्श पी-47	नकल रपट	अभि. साक्षी–10
48.	प्रदर्श पी-48	नकल रपट	अभि. साक्षी–10
49.	प्रदर्श पी-49	नकल रपट	अभि. साक्षी–10
50.	प्रदर्श पी-50	घटनास्थल फोटोग्राफस्	अभि. साक्षी–10
51.	प्रदर्श पी-51	घटनास्थल फोटोग्राफस्	अभि. साक्षी–10
52.	प्रदर्श पी-52	घटनास्थल फोटोग्राफस्	अभि. साक्षी–10
53.	प्रदर्श पी-53	घटनास्थल फोटोग्राफस्	अभि. साक्षी–10
54.	प्रदर्श पी-54	बिल तहरीर	अभि. साक्षी–10
55.	प्रदर्श पी-55	शिनाख्तगी पत्र	अभि. साक्षी–10
56.	प्रदर्श पी-56	शिनाख्तगी पत्र	अभि. साक्षी–10
57.	प्रदर्श पी-57	शिनाख्तगी पत्र	अभि. साक्षी–10
58.	प्रदर्श पी-58	प्रार्थना पत्र	अभि. साक्षी–10
59.	प्रदर्श पी-59	65बी प्रमाण पत्र	अभि. साक्षी–10

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्‌भव प्रार्थी प्रदीप कुमार द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–219/2021 दर्ज कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 में प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी प्रदीप कुमार ने थाना इन्द्रगढ़ में एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश

की कि प्रार्थी दिनांक 14.11.2021 को समय 08.30 एएम करीब परिवार सहित ग्राम चाण्दाखुर्द में भागवत कथा में चले गये थे तथा प्रार्थी आज दिनांक 15.11.2021 को प्रातः 09.00 एएम पर सुमेरगंजमण्डी आये तो प्रार्थी के घर का मैन ताला टूटा हुआ मिला। जब प्रार्थी ने अन्दर जाकर देखा तो प्रार्थी के घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला तथा दोनों गोदरेज अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। मेरी एक अलमारी में 1,70,000/— रुपये तथा ढाई तोला सोना व दूसरी अलमारी में मेरे पिताजी रविशंकर के 1,10,000/— रुपये तथा सोने की चैन अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर ताला तोड़कर चुराकर ले गये...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 में अभियोग—पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 रविशंकर, पी.ड02 भैरूलाल, पी.ड03 प्रदीप कुमार, पी.ड04 राकेश कुमार, पी.ड05 पोखरमल, पी.ड.06 बृजेन्द्र सिंह, पी.ड.07 रवि कुमार, पी.ड.08 संदीप, पी.ड.09 बाबूलाल व पी.ड.10 हरीश भारती को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.59 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण देवराज व शाहरूख ने दिनांक 14.11.2021 को 08.30 एएम व 15.11.2021 को प्रातः 09.00 एएम के मध्य किसी कारावास से दंडित अपराध कारित करने के लिए ग्राम सुमेरगंजमण्डी में स्थित परिवादी प्रदीप कुमार के मकान, जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, में रखे हुए 1,70,000/– रुपये 2.5 तोला सोना व 1,10,000/– रुपये एक सोने की चैन को चुराने के लिए प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार कारित किया एवं परिवादी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से उक्त सामान को हटाकर चोरी का अपराध कारित किया?

क्या अभियुक्त आमीन मोहम्मद ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान को परिवादी के मकान में संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में सामान चुराये, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी गई सम्पत्ति है, को छिपाने या व्ययनित करने का इधर–उधर करने में स्वेच्छया सहायता की?

क्या अभियुक्त दीपक सोनी ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी के मकान में संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में सामान चुराये, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी गई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 रविशंकर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.11.2021 को देवउठनी ग्यारस के दिन की बात है हम रेलवे स्टेशन सुमेरगंजमंडी वाले घर से हमारे गांव चाणदा खुर्द वाले मकान में हमारे निजी मंदिर में देव उठाने गये थे व वहां से दिनांक 15.11.2021 को

सवेरे 8–9 बजे वापस सुमेरगंजमंडी वाले मकान पर लौटे थे, मेरे साथ मेरा बच्चा प्रदीप, उसकी पत्नी व बच्चे थे। वापस आकर देखा तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ था व कुंदी लगी हुई थी जबकि हम ताला लगा कर गये थे। कुंदी खोलकर जब हम अंदर गये थे तो हमारे दो मंजिला मकान की दोनों मंजिलों में सामान बिखरा हुआ था। मेरी एक 12 बोर की बंदूक टंगी हुई थी जो नीचे गिरी हुई अवस्था में मिली। मेरे कमरे की आलमारी में से एक सोने की चौन और एक लाख दस हजार रूपये नकद गायब मिले। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। मेरे बच्चे प्रदीप ने बताया कि उसके कमरे में से, जो कि दूसरी मंजिल पर है, एक सोने की चौन व एक लाख सत्तर हजार रूपये गायब थे। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी01 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 भैरूलाल शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी01 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। यह नक्शामौका 2021 में रविशंकर के मकान का उनके घर से चोरी की घटना से संबंध में मेरे सामने बनाया गया था।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 प्रदीप कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.11.2021 को हम हमारे सुमेरगंजमंडी में स्थित मकान से चाणदा खुर्द भागवत कथा सुनने गये थे। सुमेरगंजमंडी स्थित मकान में कोई नहीं था, ताला लगा कर गये थे। हम रात को चाणदा खुर्द में ही रूके थे व दिनांक 15.11.2021 को सुबह 9 बजे के करीब वापस सुमेरगंजमंडी आए थे। हम दोनों पती–पत्नी, दोनों बेटियां व मेरे पिताजी रविशंकर जी साथ ही वापस आए थे। वापस आकर देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे व बाहर की कुंदी लग रखी थी। जब कुंदी खोल कर हम अदर गए तो देखा कि मेरे कमरे की आलमारी को ताला टूटा हुआ था जिसमें से एक सोने की चौन व एक लाख सत्तर हजार रूपये गायब मिले। मेरे पिताजी के कमरे की आलमारी से एक सोने की चौन व एक लाख दस हजार रूपये गायब मिले। पूरा सामान बिखरा हुआ था। मेरे पिताजी के कमरे में पांच कारतूस व एक बंदूक रखी हुई थी जिसमें से पांच कारतूस गायब मिले बंदूक वही पड़ी हुई थी। चोरी हुए नोटों की कोई विशेष पहचान नहीं थी ना ही उनके नम्बर मुझे याद है। चोरी हुई सोने की चौनों पर एस आकार का नुक्का लगा हुआ था जिन पर 23सी अंकित था। चोरी की रिपोर्ट हमने

उसी दिन इन्द्रगढ़ थाने में करवाई थी जो प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्श पी.01 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। चोरी हुई सोने की दोनों चौनों की शिनाख्त तहसीलदार जी ने तहसील में करवाई थी जहां पर मैंने चार सोने जैसी चौनों में से अपनी चोरी हुई दो सोने की चौनों को पहचान लिया था। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श.04 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द शिनाख्तगी की कार्बन प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.04ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 राकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2022 को थाना इन्द्रगढ़ मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना हाजा का प्रकरण संख्या 219/2021 धारा 457,380,414 भा.द.स. में वांछित मुलजिमान आमीन मों और देवराज को जर्ये फर्द गिरफतार किया था। मुलजिम देवराज की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी मुलजिम के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम आमीन मोहम्मद की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.06 है जिस पर ए से बी मुलजिम के हस्ताक्षर है। गवाह में मेरा नाम अंकित है। मुलजिम आमीन मोहम्मद की सूचना के अनुसार उसके मुकाम जरखोदा पहुंचे। जहा मुलजिम ने अपने मकान से 10 हजार रूपये निकालकर पेश किये जिन्हें वैजह सबूत जब्त किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मुलजिम के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मुलजिम के हस्ताक्षर है रूबरगवाहान में मेरा नाम अंकित है। मुलजिम देवराज की सूचना पर उसके मुकाम करवर पहुंचे जहां मुलजिम देवराज ने अपने मकान से 10 हजार रूपये निकालकर पेश किये जिन्हें फर्द जब्त किया फर्द जब्ती प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी मुलजिम के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मुलजिम के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। इसके पश्चात मुलजिम शाहरूख को थाना हाजा पर गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम शाहरूख की सूचना के अनुसरण में मय जाप्ता उसके रिहायशी मकारन करवर पहुंचें। जहा मुलजिम शाहरूख ने अपने मकान से 80 हजार रूपये निकालकर पेश किये। जिन्हे जर्ये फर्द जब्त किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

जब्ती स्थल का नक्शामौका प्रर्दश पी 13 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम शाहरूख ने अपने मकान से चार भरे कारतूस और एक खाली कारतूस निकालकर पेश किये थे, जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। शाहरूख से एक मोटरसाईकिल भी जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जब्तीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 17 पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम दीपक को प्रकरण में वांछित होने पर सुभाष चौराहा देई से जर्ये फर्द गिरफतार किया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी मुलजिम के हस्ताक्षर है व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। गवाह सूची मे मेरा नाम अंकित है। दीपक की सूचना पर देई से ज्वैलर की दुकान से दो सोने जैसी चौन जर्ये फर्द जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम देवराज की निशानदेही से फर्द तस्दीक नक्शामौका प्रदर्श पी 21 है जिस पर ऐ से बी मुलजिम के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 पोखरमल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.03.2022 को तहसील इन्द्रगढ़ में रीडर के पद पर कार्यरत था। उस दिन 219/2021 अर्न्तगत धारा 457,380,414 भा.दं.सं. में श्रीमान तहसीलदार श्री रवि शर्मा के द्वारा एक शील्डशुदा हालात में कपडे की थैली में मार्क ई में रखी हुई दो सोने जैसी चेनों को उस जैसी दो अन्य चेनों को शामिल करते हुए फरियादी प्रदीप कुमार से मेरी मौजूदगी में शिनाख्तगी करवाई थी। फरियादी के द्वारा उक्त चेनों में से अपनी दो सोने जैसी चेनों को अपनी होना सह शिनाख्त किया था। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 बृजेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.01.2022 को थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था. उस दिन मुकदमा संख्या 219/2021 अर्न्तगत

धारा 457,380,414, भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्रीहरीश भारती मय कानि. राकेश कुमार के मय मुलजिमान शाहरूख खान व देवराज के दिन में थाने से रवाना होकर करवर पहुंचे जहा सबसे पहले मुलजिम शाहरूख के द्वारा दी गयी धारा 27 सूचना मुताबिक करवर में उसके रिहायशी मकान पर पहुंचे। मुलजिम ने अपने मकान के कमरे में बनी टॉड में रखे बक्से में से 80000 रूपये लाकर पेश किये। जिसमें 12 नोट 2000 के और 500 के 96 नोट 200 के 40 नोट थे। जिनको मुलजिम द्वारा मेरी करना बताया गया था, जिनको उक्त प्रकरण में वाछितः होने पर एक लिफाफे में रखकर सोल्डमोहर कर एक सफेद थैली में रखकर मार्क ए दिया। मौके पर फर्दजब्ती एवं बरामदगी स्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया जो प्रदर्श पी 11 व पी 12 है जिन पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उसी वक्त उसी मकान से बनी कमरे की टॉन पर छोटे बक्से में चार कारतूस बारह बोर व एक खाली कारतूस निकालकर मुलजिम शाहरूख द्वारा लाकर पेश किया जिनको आई. ओ के द्वारा उक्त प्रकरण का माल होने से जब्त कर लिफाफे में रखकर एक कपडे की थैली में रखकर मार्क सी दिया। मौके पर फर्द जब्ती एंव बरामदगी स्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया जो प्रदर्श पी 14 व पी 15 है जिन पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उसी वक्त मुलजिम शाहरूख ने उक्त अपराध में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को अपने मकान के चौक से मोटरसाईकिल आर जे 20 एल एस 8003 बरामद कराई। जिसको मौके पर जर्ये फर्द जब्त किया जो प्रदर्श पी 16 व बरामदगी स्थल नक्शामीका प्रदर्श पी 17 है जिन पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् द्वारा दी गयी सूचना मुताबिक करवर में स्थित देवराज के मकान के टिन के नीचे रखे बडे बक्से में से दस हजार रूपये निकालकर पेश किये। जिनमें 2 हजार के गोठे एवं 500 के 12 नोट निकले जिनको मुलजिम ने चोरी करना बताया था, उक्त रकम को थानाधिकारी द्वारा माल मसरूका होने से एक लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की शैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्क डी दिया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 9 व बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 10 है जिन पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फर्द चिट माल प्रदर्श पी 22, 23 प्रदर्श पी.24 है। मय माल मुलजिमान के वापस थाना पहुंचे वापसी थाने पर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा माल जमा मालखाना कराया। माननीय न्यायालय के आदेश कमाक 2501 दिनांक 03.10.2023 के आदेश से उक्त प्रकरण में जब्तशुदा 2000 के 15 नोटों का पंचनामा बनाया जाकर फोटोग्राफी की थी, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा फोटो प्रदर्श पी.26

लगायत 32 है। 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.33 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 रवि कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.03.2022 को तहसील इन्द्रगढ़ में तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 219/2021 अर्न्तगत धारा 457, 380, 414 भा.दं.सं. में मेरे द्वारा एक शील्डशुदा हालात में कपडे की थैली में मार्क ई में रखी हुई दो सोने जैसी चेनों को उस जैसी दो अन्य चेनों को शामिल करते हुए फरियादी प्रदीप कुमार से पोखरमल रीडर की मौजूदगी में शिनाख्तगी करवाई थी। फरियादी के द्वारा उक्त चेनों में से अपनी दो सोने जैसी चेनों को अपनी होना सह शिनाख्त किया था। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी 4 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 संदीप ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2022 को इन्द्रगढ़ थाने में पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 219/2021 मै व राकेश कानि. मौजूदगी में हरिश भारती सीआई साहब ने मुलजिम देवराज पिता कल्याण गुर्जर निवासी करवर को गिरफ्तार किया था। उसी दिन मुलजिम आमीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। उसी दिन आमीन से बाबूलाल एएसआई ने साक्ष्य 27 को नोटिस देकर मुलजिम के साथ चलकर उसके बताये अनुसार दस हजार रुपये उसके घर से चोरी के रकम जप्त किए थे। दिनांक 03.03.2022 को हरिष भारती सीआई ने मेरे व राकेश कानि. के समक्ष दीपक सोनी को गिरफ्तार किया था। दीपक सोनी की दुकान से चोरी की खरीदी हुई दो–सोने की चैन जिनका वजन 22.100 ग्राम था। उसकी दुकान से जप्त किया था। दिनांक 06.01.2022 को आमीन मोहम्मद से बाबूलाल एएसआई ने मेरे व राकेश के समक्ष फर्द बरामदगी की स्थल का नक्शामौका बनाया था। दिनांक 03.03.2022 को हरिश भारती ने दीपक सोनी की दुकान से जप्तशुदा सोने की चैन का जहां से जप्त की थी। दुकान का फर्द बरामदगी नक्शामौका बनाया था। दिनांक 07.01.2022 को हरिष भारती ने मेरे व राकेश के समक्ष गिरफ्तारशुदा मुलजिम देवराज पिता का नाम कल्याण द्वारा आगे–आगे चलकर फर्द घटनास्थल नक्शामौका बनाया। फर्द गिरफ्तारी व जमातलाशी प्रदर्श पी.05 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम आमीन प्रदर्श पी.06 व मुलजिम दीपक

सोनी प्रदर्श पी.08 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक नक्शामौका घ ाटनास्थल मुलजिम देवराज पिता का नाम कल्याण के बताये अनुसार स्थान मकान प्रदीप कुमार निवासी सुमेरगंजमण्डी प्रदर्श पी.21 पर ई से एफ हस्ताक्षर है। चिट माल नमूना प्रदर्श पी.26 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2022 को थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 219/2021 अर्न्तगत धारा 457,380,414 भा.द.स. की पत्रावली अनुसंधान हेतु मुझे सुपुर्द की गयी। दौराने अनुसंधान मैने मुलजिम आमीन मो. द्वारा दी गयी धारा 27 सूचना मुताबिक में कानि. संदीप, कानि. राकेश, मय मुलजिम आमीन मो. के थाने से रवाना होकर जरखोदा में मुलजिम आमीन मो. के रिहायशी मकान पहुंचें। जहा मुलजिम ने आगे–आगे चलकर अपने मकान के कमरे की टान पर रखे हुए एक प्लास्टिक के थैले में से उक्त प्रकरण मे वाछितः दस हजार रूपये की रकम बरामद कराई, जिनमें 2000 का एक नोट 500 के 16 नोट थे। जिनको मौके पर जब्त कर एक लिफाफे में रखकर फिर लिफाफे को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क ए दिया। मौके पर फर्द जब्ती एंव बरामदगी स्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया जो कमशः प्रदर्श पी.7 व पी.8 है जिन पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मय माल मुलजिमान के वापस थाना पहुंचे, माल जमा मालखाना करवाया। मुलजिम देवराज द्वारा धारा 27 की सूचना दी कि मैने व शाहरूख ने दिनांक 14.11.2021 को रात्रि को सुमेरगंजमण्डी में जिस सूने मकान में से सोने चांदी के जेवर व रूपये की चोरी की थी, उस चोरी किये गये सोने के जेवर व रूपयों को मेरे व शाहरूख के द्वारा बंटवारा किये गये मेरे मकान करवर में छुपा रखा है। देवराज की धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए सेबी मेरे व सी से डी मुलजिम देवराज के हस्ताक्षर है। उसी प्रकार मुलजिम मो.आमीन के द्व ारा धारा 27 की सूचना दी कि देवराज व शाहरूख निवासी करवर ने चोरी किये गये सोने के जेवर व पैसे रखने के लिए जो रकम 18000 रूपये दिये गये थे, उन रूपयों को मेने मेरे मकान ग्राम जरखोदा में रखे है। मुलजिम मो. आमीन की सूचना प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी मेरे वसी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द चिट माल प्रदर्श पी.29 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी मुलजिम आमीन के हस्ताक्षर है। ई चालान की कॉपी प्रदर्श पी.30 है,

उक्त जब्तशुदा रकम को न्यायालय के आदेश से फरियादी को सुपुर्द किया। न्यायालय का आदेश प्रदर्श पी.31 है।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 हरीश भारती ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.11.2021 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र रविशंकर निवासी चाणदाखुर्द हाल सुमेरगंजमण्डी के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट लाकर मेरे समक्ष पेश की। जिसके मजबून के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा संख्या 219/2021 अर्न्तगत धारा 457,380 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान मेरे द्वारा प्रारम्भ किया गया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 की पुश्त पर सी से डी थाने की कार्यवाही पुलिस का पृश्ठाकन होकर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी.3 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहान प्रदीप कुमार, रविशंकर के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान आमीन मोहम्मद के विरुद्ध धारा 414 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया। देवराज, शाहरूख के विरुद्ध 457, 380 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया तथा मुलजिम दीपक सोनी के विरुद्ध धारा 411 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया। बाद अनुसंधान उक्त मुलजिमान के विरुद्ध आरोप पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में पेश किया गया।

19. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का यदि समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो** फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में कथन किया है कि प्रार्थी दिनांक 14.11.2021 को समय 08.30 एएम करीब परिवार सहित ग्राम चाण्दाखुर्द में भागवत कथा में चले गये थे तथा प्रार्थी आज दिनांक 15.11.2021 को प्रातः 09.00 एएम पर सुमेरगंजमण्डी आये तो प्रार्थी के घर का मैन ताला टूटा हुआ मिला। जब प्रार्थी ने अन्दर जाकर देखा तो प्रार्थी के घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला तथा दोनों गोदरेज अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। मेरी एक अलमारी में 1,70,000/— रुपये तथा ढाई तोला सोना व दूसरी अलमारी में मेरे पिताजी रविशंकर के 1,10,000/— रुपये तथा सोने की चैन अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर ताला तोड़कर चुराकर ले गये। ऐसे में वक्त चोरी की घटना कोई भी व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं था एवं वापस आकर देखा तो उनकी अलमारी के ताले टूटे हुए मिले एवं घटना रात्रि में

हुई है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया है जिसने यह कथन किया हो कि चोरी करते हुए अभियुक्तगण को देखा गया हो। घटना अवश्य ही रात्रि में हुई है तो किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उक्त चोरी की घटना को देख सकता हो। ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द बरामदगी को संदेह से परे साबित करना आवश्यक था एवं इस संबंध में जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें गवाह पी.ड.01 रविशंकर को परीक्षित कराया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वापस आकर देखा तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ था व कुंदी लगी हुई थी जबकि हम ताला लगा कर गये थे। मेरी एक 12 बोर की बंदूक टंगी हुई थी जो नीचे गिरी हुई अवस्था में मिली। मेरे कमरे की आलमारी में से एक सोने की चैन और एक लाख दस हजार रूपये नकद गायब मिले। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। मेरे बच्चे प्रदीप ने बताया कि उसके कमरे में से, जो कि दूसरी मंजिल पर है, एक सोने की चैन व एक लाख सत्तर हजार रूपये गायब थे एवं उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुए नहीं देखी, सामान किसने चोरी किया मुझे पता नहीं है।** टूटे हुए ताले पुलिस वालों को दिये हो तो मुझे पता नहीं है। मेरे पांच कारतूस चोरी हुए थे जिसमें पुलिस ने चार कारतूस बरामद किये थे लेकिन मुझे वापस नहीं दिये व पुलिस ने अपने पास रख लिये। **प्रदर्श पी.01 पर क्या लिखा था यह मुझे पता नहीं है** तथा फर्द जप्ती व बरामदगी के गवाह पी.ड.03 राकेश कुमार को परीक्षित कराया है। जिसने जिरह में कथन किया है कि मेरे सामने सबसे पहले देवराज को दिनांक 06.01.2022 को शाम को 06.40 पर गिरफ्तार किया था। यह मुझे पता नहीं कि थाने पर देवराज को कौन लेकर आया था। कमरे में और भी सामान थे लेकिन क्या सामान था यह मुझे पता नहीं। **यह कहना सही है कि मौके पर मकान मालिक और आस–पडोस के लोग मौजूद नहीं थे।** गवाह पी.ड.06 बृजेन्द्र कुमार ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम शाहरूख का अन्य कोई मकान नहीं है। शाहरूख के मकान में 4–5 व्यक्ति रहते थे एवं वकील मुलजिम देवराज की जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जब्तशुदा पैसे आज अदालत में उपस्थित नहीं है। **यह कहना सही है कि फर्द जब्ती पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये, मौके पर कोई मौजूद नहीं था।** पी.ड.08 बाबूलाल ने जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी.08 में आमीन का नाम लिखा हुआ नहीं है।

प्रदर्श पी.08 में मकान पर आमीन के पिताजी को नाम लिखा हुआ नहीं है एवं अनुसंधान अधिकारी पी.ड.09 हरीश भारती ने जिरह में कथन किया है कि **सोने की चैन जहां से मैंने बरामद की वह दुकान दीपक की है उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं किया।** यह कहना सही है कि जिस दुकान से सोने की चैन बरामद की थी उसका मालिकाना हक के दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। आगे कथन किया है कि यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल बाजार में है। बरामदगी स्थल पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह कहना सही है कि आसपास की दुकान वालो के हस्ताक्षर नहीं करवाये।

20. चूंकि अभियुक्तगण से जो माल बरामद करना बताया गया है वह जरिये प्रदर्श पी.07 मुलजिम आमीन मोहम्मद से 10,000/– रुपये बरामद करना बताया है एवं अभियुक्त शाहरूख से जरिये फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी.12 के अनुसार 80,000/– रुपये बरामद करना बताया है एवं अभियुक्त शाहरूख से जरिये फर्द बरामदगी व जब्ती प्रदर्श पी.14 से चार कारतूस 12 बोर व एक खाली कारतूस बरामद करना बताया है तथा अभियुक्त शाहरूख से जरिये प्रदर्श पी.16 अपराध में संलिप्त मोटरसाईकिल बजाज डयूक 200 केटीएम आरजे20–एलएस–8003 को बरामद करना बताया है एवं मुलजिम देवराज से जरिये प्रदर्श पी.09 10,000/– रुपये एवं मुलजिम दीपक सोनी से जरिये प्रदर्श पी.19 दो सोने की चैन दीप ज्योति ज्वैलर देई की दुकान की अलमारी से बरामद करना बताया है। उक्त सभी फर्द जप्तीयां प्रदर्श पी.07, पी.12, पी.14, पी.09, पी.19 में पुलिसकर्मी ही गवाह है किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों को गवाह नहीं बनाया गया है।

21. सर्वप्रथम तो फर्द जप्ती प्रदर्श पी.07, पी.12, पी.14, पी.09 में अभियुक्तगण के रिहायशी मकान से माल बरामद करना बताया गया है व प्रदर्श पी.19 में दीप ज्योति ज्वैलर्स के अलमारी से माल बरामद करना बताया गया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी अपनी जिरह में कथन कर रहा है कि **सोने की चैन जहां से मैंने बरामद की वह दुकान दीपक की है उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं किया।** यह कहना सही है कि जिस दुकान से सोने की चैन बरामद की थी उसका मालिकाना हक के दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है व साथ ही **उक्त माल बरामद की जप्तीयां जिन रिहायशी मकानो से करना बताया गया है, उन रिहायशी मकानों के संबंध में किसी प्रकार की कोई मालिकाना हक के**

संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे यह जाहिर होता हो कि जिन मकानो से जो जप्तीयां की गई है, वह मकान अभियुक्तगण के ही आधिपत्य, उपयोग–उपभोग के हो व ना ही प्रदर्श पी.19 में बतायी गई दुकान दीप ज्योति ज्वैलर्स के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। बरामदगी स्थल व फर्द नक्शामौका प्रदर्श पी.08, पी.13, पी.15, पी.10 व पी.21 में जिन जगहों से बरामद करना बताया गया है, उनके आसपास मकान बने हुए है व प्रदर्श पी.17 व पी.20 में आसपास कई दुकाने दर्शित कर रखी है एवं फर्द बरामदगियां प्रदर्श पी.07 को 05.10 पीएम, प्रदर्श पी.12 को 03.15 पीएम, प्रदर्श पी. 14 को 04.00 पीएम, प्रदर्श पी.16 को 04.40 पीएम दिन के समय में बतायी गई है। लेकिन फिर भी किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया है जबकि उक्त फर्द बरामदगी स्थल व नक्शामौका में आसपास मकान दर्शाये गए हैं एवं प्रदर्श पी.17 में दुकानें दर्शायी गई है। ऐसे में यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वहां कोई आसपास व्यक्ति मौजूद ही नहीं हो एवं स्वतंत्र गवाह बनाने को तैयार नहीं हो एवं यदि स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास भी किया गया हो तो इस संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। **अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे फर्द बरामदगी व जब्ती को साबित करने में विफल रहा है।**

22. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण देवराज व शाहरूख ने दिनांक 14.11. 2021 को 08.30 एएम व 15.11.2021 को प्रातः 09.00 एएम के मध्य किसी कारावास से दंडित अपराध कारित करने के लिए ग्राम सुमेरगंजमण्डी में स्थित परिवादी प्रदीप कुमार के मकान, जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, में रखे हुए 1,70,000/– रुपये 2.5 तोला सोना व 1,10,000/– रुपये एक सोने की चैन को चुराने के लिए प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार कारित किया एवं परिवादी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से उक्त सामान को हटाकर चोरी का अपराध कारित किया तथा अभियुक्त आमीन मोहम्मद ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान को परिवादी के मकान में संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में सामान चुराये, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी गई सम्पत्ति है, को छिपाने या व्ययनित करने का इधर–उधर करने

में स्वेच्छया सहायता की तथा अभियुक्त दीपक सोनी ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी के मकान में संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में सामान चुराये, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी गई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

23. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. आमीन मोहम्मद** पुत्र अजीज मोहम्मद उम्र 39 साल निवासी जरखोदा थाना करवर जिला बून्दी राज0 **2. देवराज** पुत्र कल्याण उम्र 30 साल निवासी करवर जिला बून्दी राज0 **3. शाहरूख खान** पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं.12 बस स्टैण्ड करवर जिला बून्दी राज0 **4. दीपक सोनी** पुत्र रामविलास सोनी उम्र 41 साल निवासी वार्ड नं. 07 देई थाना देई जिला बून्दी राज0 को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 414, 411 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

24. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

25. जब्तशुदा माल जो स्वामी को सुपुदर्गी पर दिया गया है, वह सुपुर्दगीदार के पास बना रहे व बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

26. निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़